


बिहार विधान सभा सचिवालय  
अधिसूचना

संख्या-नि०को०-09/2023- 3054 /वि०स०। पटना, दिनांक:- 15 दिसम्बर, 2023 ई०।  
संख्या-1स्था०-106/2020-2553, दिनांक 06.10.2023 के क्रम में बिहार विधान सभा सचिवालय में डाटा इंट्री ऑपरेटर के पद के लिए बहाली की रीति एवं नियुक्ति हेतु अर्हता निर्धारित करते हुए माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा बिहार विधान सभा (भरती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 के नियम 8(ख) के अधीन डाटा इंट्री ऑपरेटर के पद पर भरती की पद्धति/पद्धतियाँ, पाठ्यक्रम, विषय, परीक्षा का आकार, अंक एवं परीक्षाओं के संचालन के विनियमन के संबंध में निम्नलिखित आदेश विनिर्दिष्ट करते हैं:-

बिहार विधान सभा सचिवालय (सीधी भरती की पद्धतियाँ) आदेश, 2023


1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- यह आदेश बिहार विधान सभा सचिवालय (सीधी भरती की पद्धतियाँ) आदेश, 2023 कही जा सकेगी।
2. यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।
3. बिहार विधान सभा सचिवालय में डाटा इंट्री ऑपरेटर के पदों पर बहाली की रीति एवं नियुक्ति हेतु अर्हता तथा पद्धतियाँ वही होगी जो इस अधिसूचना के साथ संलग्न 'परिशिष्ट' में वर्णित है।  
अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के/आदेश से,



(प्रवीन कुमार श्रीवास्तव)  
अवर सचिव,

बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।


ज्ञापांक-नि०को०-09/2023- 3055 /वि०स०, पटना, दिनांक- 15 दिसम्बर, 2023 ई०।  
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(प्रवीन कुमार श्रीवास्तव)  
अवर सचिव,

बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।


ज्ञापांक-नि०को०-09/2023- 3055 /वि०स०, पटना, दिनांक- 15 दिसम्बर, 2023 ई०।  
प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/अपर मुख्य सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



(प्रवीन कुमार श्रीवास्तव)  
अवर सचिव,

बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।


ज्ञापांक-नि०को०-09/2023- 3055 /वि०स०, पटना, दिनांक- 15 दिसम्बर, 2023 ई०।  
प्रतिलिपि:-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव, माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं सचिव के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।



(प्रवीन कुमार श्रीवास्तव)  
अवर सचिव,

बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

ज्ञापांक-नि०को०-09/2023- 3055 /वि०स०, पटना, दिनांक- 15 दिसम्बर, 2023 ई०।  
प्रतिलिपि:-सभी निदेशक/उप सचिवगण/संयुक्त निदेशक/सभी अवर सचिवगण, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।




(प्रवीन कुमार श्रीवास्तव)  
अवर सचिव,

बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

ज्ञापांक-नि०को०-09/2023- 3055 /वि०स०, पटना, दिनांक- 15 दिसम्बर, 2023 ई०।  
प्रतिलिपि:-अवर सचिव, गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार सरकार का सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी सहित बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि यथा प्रकाशित अधिसूचना की 25 (पच्चीस) प्रतियाँ सभा सचिवालय को उपलब्ध करायी जाय।




(प्रवीन कुमार श्रीवास्तव)  
अवर सचिव,

बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

ज्ञापांक-नि०को०-09/2023- 3055 /वि०स०, पटना, दिनांक- 15 दिसम्बर, 2023 ई०।  
प्रतिलिपि:-अवर सचिव, श्रव्य एवं दृश्य इकाई, बिहार विधान सभा को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अनुलग्नक सहित सभा सचिवालय के वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।



(प्रवीन कुमार श्रीवास्तव)  
अवर सचिव,

बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

## बिहार विधान सभा सचिवालय (सीधी भरती की पद्धतियाँ) आदेश, 2023

### परिशिष्ट

बिहार विधान सभा सचिवालय में डाटा इंट्री ऑपरेटर के पद पर बहाली की रीति तथा नियुक्ति हेतु अर्हता एवं सीधी भरती की पद्धति/पद्धतियाँ, पाठ्यक्रम, विषय, परीक्षा का आकार, अंक एवं परीक्षाओं के संचालन आदि के निर्धारण के संबंध में विनियमन:-

1. बहाली की रीति तथा नियुक्ति हेतु अर्हता:-सीधी भरती हेतु- 100% खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से उन प्रत्याशियों के बीच से जिनके पास राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या इंटरमीडिएट परिषद् की इंटरमीडिएट की योग्यता हो तथा 8000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति कम्प्यूटर पर हो।  
वांछित योग्यता:-कम्प्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण-पत्र जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) या कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यायन विभाग (डी.ओ.ई.ए.सी.सी.) की मान्यता हो या डी.ई.ओ.ए.सी.सी. द्वारा विहित विषयों के पाठ्यक्रम एवं अवधि के संदर्भ में 'ओ' स्तर के समतुल्य विषय या डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी०सी०ए०) या कम्प्यूटर दक्षता जाँच।
2. पद्धति/आकार/अंक :-  
डाटा इंट्री ऑपरेटर के पदों पर सीधी भरती हेतु दो चरणों में जांच/परीक्षा ली जायेगी -(i) प्रारंभिक परीक्षा (OMR उत्तर-पुस्तिका आधारित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा), (ii) हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा तथा एम.एस. ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा।  
(क) सर्वप्रथम OMR उत्तर-पुस्तिका आधारित वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रारंभिक परीक्षा ली जायेगी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण की (कम्प्यूटर आधारित) परीक्षा तथा एम.एस. ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा ली जायेगी।  
(ख) हिन्दी टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट की ली जायेगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-10/परी-1049/77 का.-9, दिनांक 06.11.1978 के आलोक में यह जांच परीक्षा 10-10 मिनट की होगी एवं टंकण में हुई गलतियों में 1.5 (डेढ़) प्रतिशत छूट अनुमान्य होगी।  
(ग) डाटा इंट्री ऑपरेटर के पदों पर सीधी भरती हेतु 50 अंकों की हिन्दी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की 01 (एक) घंटा की एम.एस. ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा ली जायेगी। एम.एस. ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच परीक्षा में अर्हतांक 30% है जो अनिवार्य होगा एवं मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जायेगी। टंकण जांच परीक्षा/एम.एस. ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी सीधी भरती हेतु योग्य नहीं माने जायेंगे।
3. पाठ्यक्रम :- परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्न प्रकार है :-  
प्रारंभिक परीक्षा :-  
(क) प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे।  
(ख) प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा।  
(ग) प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 02 (दो) घंटे की होगी और कुल 100 (एक सौ) प्रश्न होंगे।  
(घ) प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 (चार सौ) अंकों की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 04 (चार) अंक प्रदान किए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 01 (एक) अंक की कटौती की जाएगी।

14/12/23

- (ड) प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगी। यदि हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे।
- (च) प्रारंभिक परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे :-
- सामान्य अध्ययन - प्रश्नों की संख्या 40 (घालीस) होगी।
  - सामान्य विज्ञान एवं गणित - प्रश्नों की संख्या 30 (तीस) होगी।
  - मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार - प्रश्नों की संख्या 30 (तीस) होगी।
- (छ) इस प्रारंभिक परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों का परीक्षाफल, अनुवर्ती जांच परीक्षा के निमित्त घोषित किया जाएगा।
- (क) सामान्य अध्ययन :- इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जायेंगे।
- सम-सामयिक विषय :- महत्वपूर्ण राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम-सामयिक घटनायें, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल-खिलाड़ी।
  - भारत और उसके पड़ोसी देश :- पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत एवं बिहार का इतिहास/संस्कृति/भूगोल/आर्थिक परिदृश्य/कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राजनीतिक प्रणाली, भारत के संवैधानिक एवं संसदीय प्रणाली का उद्भव एवं क्रमिक विकास, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एवं आन्दोलन में बिहार का योगदान।
- (ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित:-इसमें मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जायेंगे:-
- सामान्य विज्ञान :- भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान।
  - गणित :- संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय सक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि।
- (ग) मानसिक क्षमता एवं तार्किक विचार (Mental Ability & Logical Reasoning):- इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे:-
- सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन एवं कूट व्याख्या।
4. मेधा सूची :- हिन्दी टंकण (कम्प्यूटर आधारित) एवं एम.एस. ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच/परीक्षा के योग्य नहीं होंगे।